

न्यायालय श्रीमान अ राजस्व मण्डल , ग्वालियर म. प्र.

२२० - १०२८ - १०३०८१६
प्र. क्र. -

श्रीमती सीता देवी

श्रीमान अ
पुस्तक संख्या
26216 को १३२१
७३

श्रीमती सीता देवी

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका.

विरुद्ध


म. प्र. शासन

अनावेदक.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 & 38 म. प्र. स. रा. संहिता.

अज्ञात प्रकृतिक

आवेदिका की और से निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है:-



1. यह कि उपरोक्त प्रकरण पूर्व पेशी दिनांक 27. 1. 2016 को रिकार्ड बुलाये जाने हेतु निस्त था। जिसमे पुनः रिकार्ड बुलाने के लिये दिनांक- 25. 2. 2016 को नियत किया गया है।
2. यह कि आवेदिका के अधिवक्ता ने भ्रमवश उक्त पेशी दिनांक 25. 2. 16 के स्थान पर 26. 2. 16 नोट कर ली थी।
3. यह कि आवेदिका के अधिवक्ता 26. 2. 2016 की पेशी नोट करने के कारण दिनांक-25. 2. 16 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण मान० न्यायालय द्वारा 25. 2. 16 को उक्त प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया है। उक्त त्रुटि भ्रमवश हुई है एवं उक्त प्रकरण को अभिलेख पर लिया जाना अति आवश्यक है यदि उक्त प्रकरण को अभिलेख पर नहीं लिया गया तो आवेदिका को अप्रणिय क्षति होगी।



Moted
29/3/16
Alok
Ben

अतः मान० न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदिका के प्रकरण निगरानी 3784 अ/15 को पुनः अभिलेख पर लिया जाकर प्रकरण में आवेदिका को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जावे जो कि न्यायोचित होगा।

श्रीमती सीता देवी
आवेदिका.

मोपल: दि. 26. 2. 16

(Handwritten signature)

द्वारा-

अधिवक्ता.

(Handwritten signature)

४ अशोक वेन ४

9826085701

8349591589

9

84
56

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 221 - 9028-PBR-16

शीतादवा

विरुद्ध 84 शासन

तहसील

जिला ग्वालियर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>29-3-2016</p> <p>Remiss</p>	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला 25/2/16 BR</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.</p> <p>. रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।</p> <p>आवेदक की ओर से श्री इशोक बेन आग्नेभास्कर उपस्थित। तक दुम्रे गंगे। अनुपाधिकार का कारण समाधान-कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से कार्यवाही संभव नहीं होने से समाप्त हो जाती है।</p>	<p>R3784PAR/15 25216PO</p> <p>29/3/16</p> <p>29/3/16</p>

Handwritten signature

अध्याक्ष

[पीछे देखिये]